

नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 5 यूनिटों को नोटिस जारी किये गये हैं। एक यूनिट को दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। एक यूनिट को कोयले के स्थान पर द्रव्य पेट्रोलियम गैस या बिजली जैसे गैर-प्रदूषक ईंधन का प्रयोग करने का निदेश दिया गया है। पांच अन्य यूनिटों में भी निरीक्षण किया गया है और उन्हें नोटिस जारी किये जा रहे हैं। तीन यूनिटों को निरीक्षण के दौरान बन्द पाया गया।

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन

* 396. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से यह कहने का निश्चय किया है कि वे केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) को तैयार करने के सिलसिले में सभी योजना स्कीमों की, जिनमें केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित स्कीमों में भी शामिल हैं, समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकारों, को केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित उन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिये, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जानी हैं, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जाती किये जायेंगे।

तट रक्षक परामर्शदात्री समिति का सफाई कार्यों का कार्यान्वयन

* 397. श्री राम नरेश घाटवः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को तट रक्षक परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है, यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रामन्ना) : (क) और (ख) सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 10 मार्च, 1986 के संकल्प संख्या 1975/एस/रक्षा/सं. 1/86 के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में तट रक्षक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें रक्षा गृह, वित्त (राजस्व विभाग), विधि, कृषि, विदेश और भू-तल परिवहन मंत्रालयों और महासागर विकास और पर्यावरण विभागों, नौसेना और तट रक्षक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं इस समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :—

(एक) उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।

(दो) इन कार्यों में लगी एजेंसियों की विविधता को समाप्त करना और बेहतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

(तीन) तट रक्षक संगठन तथा नौसेना, सीमा शुल्क, महासागर विकास विभाग और पर्यावरण विभाग तथा अन्य समुद्री एवं अर्ध सैनिक संगठनों के परस्पर कार्यों और क्षेत्राधिकार (कार्यात्मक और भौगोलिक) को पुनः निर्धारित करना।

2. समिति को निम्नलिखित पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देनी थीं :—

(एक) भौतिक और कार्यात्मक दोनों तरह के क्षेत्राधिकार सही-सही निर्धारण